नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016

1 (क) प्रारम्भिकः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) मे संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की **अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–4, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा** परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016 तक का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 04/2014 से 03/2016 के दौरान नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर के प्रधान तथा सचिव निम्नानुसार थेः–

प्रधानः

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री दिनेश आर्य	01.04.2014 से 01.02.2016
2.	श्री सतीश कुमार	02.02.2016 से 31.03.2016

सचिवः

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री बी0आर0 नेगी	01.04.2014 से 01.05.2015
2.	श्री कपिल तोमर, तहसीलदार (राजस्व), अतिरिक्त प्रभार	02.05.2015 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1.	वर्ष 2014–15 से पूर्व प्राप्त अनुदान का उपयोग करने में विफलता	7	0.50
2.	पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग करने में विफलता	8	9.80
3.	बचत खाता संख्या 201 में जमा राशि के सन्दर्भ में अभिलेख का उपलब्ध न होना	13	3.89
4.	नगर पंचायत कर्मचारियों के सन्दर्भ में चलाए जा रहे/गिरवी करवाए गए खातों में जमा राशि का अभिलेख उपलब्ध न होना	14	18.99
5.	कालातीत प्रतिभूति राशियों को जब्त न करना	15	0.69
6.	गृहकर की वसूली न किया जाना	17	59.02
7.	मोबाइल फोन टॉवरों की नवीनीकरण शुल्क की वसूली न किया जाना	19	0.70
8.	नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करना	21	––
9.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से पंचायत क्षेत्र में उपयोग बिजली पर प्राप्य कर की वसूली न करना	22	––
10.	दुकानों के किराए के वसूली न करना	23	1.71
11.	ठेकेदार से काटे गए बिक्रीकर की राशि से अधिक राशि को कोषागार में जमा करवाना	40	0.06
12.	ठेकेदार से काटे गए आयकर, बिक्रीकर व लेबर सैस की राशि को सम्बन्धित विभागों के पास जमा न करवाना	41	0.07
13.	अंकेक्षणावधि के दौरान लेबर सैस की राशि को ठेकेदारों से कटौती के उरान्त भी सम्बन्धित विभाग को जमा न करवाना	42	0.99

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों में से जिनके सटिप्पण उत्तर नगर पंचायत द्वारा तैयार किए गए थे उनकी वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा एवं अभिलेखों की पड़ताल उपरान्त प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया गया शेष अनिर्णीत पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट '1'** में दर्शाई गई है।

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक का वर्तमान लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट किए गए है श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 9.1.2017 से 08.03.2017 तक नगर पंचायत कार्यालय में किया गया। विस्तृत जांच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गयाः–

अवधि	**चयनित मास**	
	आय	**व्यय**
2014–15	07/2014,	01/2015
2015–16	07/2015,	03/2016

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के लेखों का अंकेक्षण नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया व अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण तदानुसार ही किया गया है। किसी प्रकार की अधूरी सूचना या छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखों का परीक्षण एवं निरीक्षण चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत राजगढ़ के अवधि 04/14 से 03/16 के लेखाओं का अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क ₹29000/– बनता है। अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी/2017/–41 दिनांकः 08–03–2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत राजगढ़ को उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित मल्टीसिटी चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्राथमिकता के आधार पर भेजने हेतु आग्रह किया गया है।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 की वर्षवार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2 (क) व (ख) तथा परिशिष्ट–3** में भी दिया गया है:–

नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प0 की वर्षवार वित्तीय स्थिति

मद	प्रारम्भिक शेष	आय, प्राप्तियाँ व ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्त शेष
		2014–15			
स्वयँ संसाधन	504750	1403534	1908284	1553267	355017
अनुदान	5422393	7363999	12786392	8430867	4355525
कुल योग	**5927143**	**8767533**	**14694676**	**9984134**	**4710542**
		2015–16			
स्वयँ संसाधन	355017	6172357	6527374	5455563	1071811
अनुदान	4355525	6330633	10686158	6489987	4196171
कुल योग	**4710542**	**12502990**	**17213532**	**11945550**	**5267982**

वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में विशेष अंकेक्षण टिप्पणियाँः–

1 वर्ष 2014–15 में वित्तीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष गत अंकेक्षण प्रतवेदन के पैरा 4(ख) में दर्शाई गई बैंक समाधान विवरणी में की गई समायोजन प्रविष्टियों उपरान्त दिनांक 31–03–2014 को रोकड़ बही तथा बैंक शेष के किए गए मिलान के अनुसार लिया गया है।

2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4(ख) में दर्शाई गई समायोजन प्रविष्टियों के सन्दर्भ में अभी तक अनुपालना करते हुए किसी प्रकार की सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है जो कि अति गम्भीर विषय है क्योंकि इन समायोजन प्रविष्टियों के सन्दर्भ में अनुपालना न किए जाने के कारण नगर पंचायत राजगढ़ के लेखे सम्पूर्ण, सही तथा निष्पक्ष वस्तुस्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

3 उपरोक्त वित्तीय स्थिति में हि0प्र0रा0स0 बैंक राजगढ़ के बचत खाता संख्या 56310104620 के शेष को शामिल नहीं किया गया है तथा इसकी वित्तीय स्थिति अलग से आगामी पैरा संख्या 12 में दर्शाई गई है। जबकि नगर पंचायत द्वारा इस खाते के दिनांक 31–03–2016 के ₹69482/– के अन्त शेष को मुख्य रोकड़ बही का ही भाग बनाया गया है।

4 नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान तथा स्वयँ संसाधनों से सम्बन्धित आय तथा व्यय इत्यादि का अभिलेख रखने के लिए कोई वर्गीकृत

सार अथवा लैजर तैयार नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि की कुल आय तथा कुल व्यय के आंकड़ों में से विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के आय तथा व्यय को क्रमशः नगर पंचायत की कुल आय तथा व्यय में से घटा कर शेष राशियों को उक्त विवरणानुसार स्वयं संसाधनों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति को दर्शाया गया है। इस प्रकार स्वयं संसाधनों की आय तथा व्यय से सम्बन्धित अभिलेख न रखने के परिणामस्वरूप उक्त प्रक्रिया द्वारा स्वयं संसाधनों की वित्तीय स्थिति में आंकड़ों को दर्शाने के कारण यहां एक ओर आंकड़ों के सही होने की पुष्टि नही की जा सकी वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत की रोकड़ बही तथा बैंक शेषों का भी ठीक ढंग से मिलान नहीं किया जा सका। नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर तथा उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अंकेक्षण द्वारा नगर पंचायत के कर्मचारियों के सहयोग से उपरोक्त वित्तीय स्थिति तैयार की गई है।

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

नगर पंचायत राजगढ़ की निधियों की दिनांक 31–03–2016 को बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31–03–2016 का अन्त शेषः			**52,67,982.00**
दिनांक 31–03–2016 को नगर पंचायत राजगढ़ के बैंक खातों का विवरणः–			
क्र	**मद**	**बचत खाते का विवरण**	**दिनांक 31–03–2016 का अन्त शेष**
1	मुख्य रोकड़ बही	यूको बैंक राजगढ़ बचत खाता संख्या 9674	6,11,677.00
		हि0प्र0रा0 सह बैंक राजगढ़ बचत खाता संख्या 2122	29,88,893.00
		पंजाब नैशनल बैंक राजगढ़ बचत खाता संख्या 30865	18,00,000.00
2	एस जे एस आर वाई रोकड़ बही	हि0प्र0रा0 सह बैंक राजगढ़ बचत खाता संख्या 5101	51,148.00
बैंक खातों का 31–03–2016 को पास बुक अनुसार कुल शेषः			**54,51,718.00**
रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31–03–2016 का अन्त शेषः			**52,67,982.00**
रोकड़ बही व बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्त शेष में अन्तरः			**1,83,736.00**
अन्तर का कारणः–			
जारी चैक जो भुगतान हेतु बैंक में 31–03–2016 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे (विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है):			**1,83,736.00**

जारी चैक जो भुगतान हेतु बैंक में 31–03–2016 तक प्रस्तुत नहीं किए गए का विवरणः

क्र•	चैक संख्या	दिनांक	बैंक	राशि
1	895090	1.1.16	यूको बैंक	2000
2	669428	1.2.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	200
3	669444	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	82461
4	669445	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	17778
5	669446	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	7050
6	669447	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	44000
7	669448	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	2769
8	669449	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	2212
9	669450	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	220
10	895137	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	2500
11	895138	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	2000
12	895139	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	1000
13	895140	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	1000
14	895141	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	1000
15	895142	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	1000
16	895143	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	1000
17	895144	31.3.16	हि0प्र0रा0सह0 बैंक	15546
			कुल योग	**183736**

5 अनुदानः–

अंकेक्षण अवधि में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों तथा उनके उपभोग का समेकित वर्षवार ब्यौरा निम्न तालिका में तथा विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट–3** में दिया गया हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अन्त शेष
2014–2015	5422393	7363999	12786392	8430867	4355525
2015–2016	4355525	6330633	10686158	6489987	4196171

6 सरकारी अनुदान की राशियों का सर्वोत्तम उपयोग करने में विफलताः–

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवर्ष चालीस लाख रुपयों से अधिक की राशि नगर पंचायत के पास प्राप्त अनुदानों में से बिना व्यय किए

शेष में पड़ी है। प्रतिवर्ष कुल प्राप्त अनुदान का लगभग 60% से अधिक हिस्सा व्यय किए बिना रह जाता है जो यह परिलक्षित करता है कि नगर पंचायत इन अनुदानों का सर्वोत्तम उपयोग करने में विफल रही है तथा वित्तीय प्रबन्धन में तुरन्त सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। नगर पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि नगर पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से नागरिकों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु यह सुझाव दिया जाता है कि नगर पंचायत के वित्तीय में प्रबन्धन को और मजबूत करते हुए प्राप्त अनुदानों का सही तथा उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

7 वर्ष 2014–15 से पूर्व प्राप्त ₹0.50 लाख के अनुदान का उपयोग करने में विफलताः–

वर्ष 2013–14 में ₹50,000/– क्रिकेट मैदान के विकास हेतु जिलाधीश, सिरमौर के कार्यालय से पत्र क्रमांकः सिरमौर/योजना/एस डी पी–88182 दिनांक 7–12–2013 से प्राप्त हुए थे। परन्तु नगर पंचायत तीन वर्ष बीतने के उपरान्त भी 31–03–2016 तक इस राशि का किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं कर पाई है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तुरन्त इस राशि के उचित उपयोग हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान ₹9.80 लाख का उपयोग करने में विफलताः–

दिनांक 31–03–2016 को नगर पंचायत निधि में ₹9,80,468 पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि (Backward Region Grant Fund) की मद में शेष पड़ी थी। इसमें से ₹2,41,468/– वर्ष 2014–15 से पूर्व का शेष हैं तथा ₹7,39,000/– वर्ष 2014–15 में पत्र क्रमांकः एस.एम.आर. (जैड.पी.)–बी.आर.जी.एफ.(एम.सी.–एन.ए.सी.–राज)2014–15–1282 दिनांक 21–10–2014 से प्राप्त हुए हैं। परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दो वर्षों के दौरान इसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है जो कि बहुत ही चिंतनीय है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तुरन्त इस राशि के उचित उपयोग हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–35 दिनांकः 25/03/2017 द्वारा सचिव, नगर

पंचायत से अनुरोध किया गया था परन्तु जिसके सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः अब इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस अनुदान राशि को निर्धारित लक्ष्य पर तय समयसीमा में व्यय करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान रजिस्टर का अधूरा अनुरक्षणः–

नगर पंचायत राजगढ़ में लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान रजिस्टर में प्राप्त अनुदानों का पूर्ण ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है। इसमें मात्र अनुदान की प्राप्ति के संदर्भ में ही प्रविष्टि की जाती है तथा इसमें से वर्ष विशेष के दौरान व्यय की गई राशि तथा वर्षान्त शेष के लिए प्रविष्टि व गणना नहीं की जाती है। इस अधूरे ब्यौरे के कारण इस अभिलेख के अनुरक्षण का उद्देश्य विफल हो जाता है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु अनुदान रजिस्टर में आरम्भिक शेष, वर्ष के दौरान प्राप्ति, व्यय तथा अन्त शेष का सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 निवेशः–

अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के दौरान नगर पंचायत द्वारा निधियों में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निधियों में इतना बकाया तो उपलब्ध था यदि उसमें से कुछ राशि को अल्पावधि सावधि जमा में निवेश किया जाता तो ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होती। अतः भविष्य में इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

11 सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानिः–

गत अनुच्छेद में वर्णित राशियों तथा व्यय के लेन देन की संख्या (number of transactions) के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि इन राशियों में से सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को अल्पावधि सावधि में निवेश किया जाता तो निश्चित रुप से बचत बैंक खाते के मुकाबले अधिक ब्याज कमाया जा सकता था। परन्तु नगर पंचायत द्वारा यह राशियाँ केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरुप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष को अल्पावधि सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

12 दिनांक 31–03–2016 को ₹0.69 लाख के शेष के साथ अप्रयुक्त बचत खाता संख्याः 4620 का संचालन करनाः–

नगर पंचायत की मुख्य रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि प्रतिमाह बैंक शेष में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में बचत खाता संख्याः 4620 का शेष भी दर्शाया जाता है जो कि दिनांक 31–03–2016 को ₹69482 है। यह खाता तथाकथित रूप से प्रतिभूति राशियों को जमा करने के लिए प्रयोग किया जाता था परन्तु अंकेक्षण के दौरान इससे सम्बन्धित किसी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाया जाता रहा है परन्तु इस अभिलेख को वर्तमान अंकेक्षण के दौरान भी नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा गत प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2014 के पैरा संख्याः 4(ड•) को समायोजित करके वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर दिया गया है तदापि उक्त प्रतिभूति रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेख को प्रस्तुत न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	64184	2593	66777	...	66777
2015–16	66777	2705	69482	...	69482

13 दिनांक 31–03–2016 को ₹3.89 लाख के शेष के साथ अप्रयुक्त बचत खाता संख्याः 201 का संचालन करनाः–

नगर पंचायत के बैंक खातों की जांच के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक राजगढ़ में बचत खाता संख्याः 201 का संचालन भी किया जा रहा है जिसमें दिनांक 31–03–2016 को ₹3,89,117 शेष थी। पास बुक के ऊपर लिखे विवरण के अनुसार यह खाता तथाकथित रूप से कर्मचारी अंशदान की राशियों को जमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है परन्तु अंकेक्षणावधि के दौरान इस खाते में किसी प्रकार का लेनदेन नहीं किया गया था। इस खाते से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अन्य अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस खाते के संचालन के उद्देश्य की पुष्टि की जा सके। इस कारण से इस खाते की वास्तविकता अथवा इसमें नगर पंचायत कर्मचारियों का कौन सा अंशदान जमा करवाया गया है के बारे में अंकेक्षण के दौरान कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव नगर पंचायत से अंकेक्षण अधियाना संख्याः संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–35 दिनांकः 25/02/2017 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसका प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः अब इस खाते के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए इस

खाते में जमा राशि का ब्यौरा तैयार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 नगर पंचायत कर्मचारियों के सन्दर्भ में चलाए जा रहे/गिरवी करवाए गए खातों में जमा ₹18.99 लाख का अभिलेख उपलब्ध न होनाः–

नगर पंचायत के लेखाओं की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली ग्रैच्यूटि पैन्शन फण्ड, अंशदायी पैन्शन फण्ड, सामान्य भविष्य निधि खाता इत्यादि से सम्बन्धित कटौतियां बैंक में जमा करवाने के लिए सात खाते खोले गए हैं जो या तो सचिव नगर पंचायत के पदनाम से हैं अथवा कर्मचारियों के नाम खुलवा कर सचिव के नाम से गिरवी रखे गए हैं। इन खातों में दिनांक 31–03–2016 को '**परिशिष्ट–4**' में समूह '3' के अन्तर्गत दिए गए विवरणानुसार ₹18,98,898/– जमा हैं। इन खातों के सन्दर्भ में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर पंचायत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास भविष्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कटौतियों व आहरण की कार्यपद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया इस मद से सम्बन्धित लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है।

2 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में प्रावधित भविष्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी• एफ• 7–1 से पी• एफ• 12 में बनाए जाने वाले खातों/लैजर का नगर पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है।

3 उपरोक्त अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, उनके लेखांकन, बैंक में जमा करवाया जाना, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि व जाँच नहीं की जा सकी है।

4 इसी अभिलेख के अभाव में गत पैरा 13 में वर्णित बैंक खाता संख्या 201 में जमा राशि की पुष्टि तथा इसे खोले जाने का उद्देश्य अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट नहीं हो पाया है।

अतः अब इस अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए इसे भविष्य हेतु तैयार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 कालातीत प्रतिभूति राशियों को जब्त न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि पिछले कई वर्षों (लगभग दस) से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के बचत खाता संख्याः 4620 में किसी प्रकार का लेनदेन नहीं किया गया है तथा पास बुक व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि यदि इस खाते का प्रयोग प्रतिभूति राशियों को जमा करने के लिए ही किया भी जाता

था तो इस में जमा प्रतिभूतियां अब नियमानुसार कालातीत हो चुकी हैं। इस प्रकार इस खाते में दिनांक 31–03–2016 को शेष ₹69482/– कालातीत प्रतिभूतियों तथा उन पर पाए गए ब्याज की है। अतः इन कालातीत प्रतिभूतियों के बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 प्रतिभूति रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

नगर पंचायत राजगढ़ के लेखों अवधि 04/2014 से 03/2016 की जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए गए निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करते समय नियमानुसार निर्धारित दर से प्रतिभूती राशि तय समयसीमा के लिए रखती है। इसी प्रकार नगर पंचायत समय समय पर अपनी सम्पत्तियों/दुकानों को किराये पर देते समय भी प्रतिभूति राशि किरायेदारों से लेती है। यह प्रतिभूति राशियां पंचायत की देनदारियां हैं। इसी प्रकार नगर पंचायत द्वारा बिजली, पानी व टेलीफोन कनैकशन प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागों में जमा प्रतिभूतियां इसकी सम्पत्ति/लेनदारियां हैं। परन्तु नगर पंचायत द्वारा इन देनदारियों तथा लेनदारियों के लिए बनाया गया रजिस्टर/अभिलेख अपूर्ण जानकारी ही उपलब्ध करवाता है। इस रजिस्टर में मात्र सम्बन्धित व्यक्तियों को वापिस भुगतान की गई प्रतिभूति राशियों का ब्यौरा ही दिनांकवार रखा गया है तथा इसमें इन प्रतिभूतियों की प्राप्ति के सन्दर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। इस कारण से नगर पंचायत द्वारा प्राप्त की जाने वाली व अदा की जाने वाली प्रतिभूति राशियों का तथा कुल देनदारी का ब्यौरा अंकेक्षण के दौरान प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस अपूर्ण अभिलेख के कारण वापिस की जाने वाली प्रतिभूति राशि के दोहरे भुगतान की आशंका भी बनी रहती है। यह मामला अंकेक्षण द्वारा गत अंकेक्षणों के दौरान भी उठाया गया था तथा अंकेक्षण द्वारा प्रतिभूति रजिस्टर लगाने हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सुझाव पर की गई कार्रवाई अभी भी अधूरी है। अतः नगर पंचायत को पुनः परामर्श दिया जाता है कि अनुरक्षित किए जा रहे प्रतिभूति रजिस्टर में प्राप्ति तथा भुगतान दोनो का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 ₹59.02 लाख के गृहकर की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–13 दिनांकः 27/01/2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत से अंकेक्षणावधि के दौरान वसूल की गई गृहकर की राशि तथा वसूली हेतु शेष राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस अधियाचना के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत के कार्यालय पत्र संख्याः न0प0 राजगढ़/2017–74 दिनांक 22–02–2017 **(परिशिष्ट–5, क्रमांक 2)** द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 को ₹59,02,491/– गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष थी।

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों के स्वयं संसाधनों की आय का सबसे मुख्य साधन गृहकर है। संसाधनों की कमी से जूझती नगर पंचायत राजगढ़ के छोटे वित्तीय आकार/स्थिति को देखते हुए ₹5902491 का वसूली हेतु शेष पाया जाना एक बहुत ही गम्भीर तथा चिंतनीय विषय है। यह नगर पंचायत की कार्यप्रणाली में वित्तीय प्रबन्धन के सम्पूर्ण अभाव को दर्शाता है। अतः अब इस ₹59.02 लाख की शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपलिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में गृहकर की समय पर वसूली करना भी सुनिश्चित किया जाए।

18 गृहकर की बकाया राशि पर अधिभार न लगाने के कारण नगर पंचायत को हो रही वित्तीय हानिः–

गृहकर अभिलेखों की जांच करने पर अंकेक्षण में पाया गया की गृहकर दाताओं से निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करने पर नियमानुसार 20 प्रतिशत अधिभार की राशि वसूली जानी अपेक्षित थी लेकिन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा देरी से गृहकर चुकाने वालों से नियमानुसार अधिभार नहीं लिया गया है। जिस कारण परिषद को निरन्तर वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त अभिलेख की जांच में यह भी पाया गया है कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा गृहकर की समय पर वसूली किए जाने के सन्दर्भ में किसी प्रकार का तन्त्र तैयार नहीं किया गया है तथा नागरिकों द्वारा गृहकर तभी जमा करवाया जाता है जब उन्हें किसी प्रकार अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है। यह नगर पंचायत प्रशासन में वित्तीय सूझबूझ तथा प्रबन्धन के अभाव को दर्शाता है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर गृहकर की समय पर वसूली हेतु एक मजबूत तन्त्र विकसित किया जाए तथा अब तक उपरोक्त पैरा में वर्णित ₹59.02 लाख को नियमानुसार 20 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूल करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 मोबाइल फोन टॉवरों की नवीनीकरण शुल्क की ₹0.70 लाख की वसूली न किया जानाः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–13 दिनांकः 27/01/2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत से अंकेक्षणावधि के दौरान मोबाइल फोन टॉवरों के स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूल की गई राशि तथा वसूली हेतु शेष राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस अधियाचना के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत के कार्यालय पत्र संख्याः न0पं0 राजगढ़/2017–74 दिनांक 22–02–2017 **(परिशिष्ट–5, क्रमांक 3)** द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 को ₹70,000/– इस मद में भारत संचार निगम लि0 तथा रिलायंस कम्पनी से ₹35000/–

प्रत्येक कर दर से वसूली हेतु शेष है। संसाधनों की कमी से जूझती नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा प्राप्य आय को समय पर वसूल न किया जाना एक बहुत ही गम्भीर तथा चिंतनीय विषय है तथा नगर पंचायत की कार्यप्रणाली में वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को दर्शाता है। अतः अब इस ₹70000 की शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपलिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में मोबाइल टॉवरों के स्थापना/नवीनीकरण शुल्क की समय पर वसूली करना भी सुनिश्चित किया जाए।

20 मोबाईल टावरों से प्राप्त आय के अभिलेख को तैयार न करना :–

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः UDH(A)(7)1/2006-10396-10444] दिनांक 25.09.2006 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले मोबाईल टावरों हेतु सम्बन्धित कम्पनी से ₹10,000/– प्रति मोबाईल टावर स्थापना शुल्क तथा ₹5,000/– प्रति टावर प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु गत अंकेक्षण के दौरान भी इस प्रकरण को उठाए जाने के बावजूद भी नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जिसके अभाव में कम्पनी विशेष से प्राप्त हुई आय व बकाया राशि की जाँच नहीं की जा सकी। इस प्रकरण में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार बार आपत्ति दर्ज किए जाने के पश्चात भी इस बारे में नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–35 दिनांकः 25/02/2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः पुनः अंकेक्षण के सुझावानुसार कार्रवाई अमल में लाते हुए मोबाईल टावरों से प्राप्य शुल्क की सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों का सम्पूर्ण अभिलेख तैयार करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश नगरपलिका अधिनियम 1994 तथा निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नगर पंचायत सीमाक्षेत्र में कार्यरत होटलों व गैस्ट हाउसों से किराए हेतु उपलब्ध कमरों पर 90 दिन की ऑक्यूपैंसी (Occupancy) के आधार पर 12.5 प्रतिशत की दर से गृहकर वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–13 दिनांकः 27/01/2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत से अंकेक्षणावधि के दौरान होटलों व गैस्ट हाउसों से गई गृहकर की वसूल की गई राशि तथा वसूली हेतु शेष राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करने

हेतु अनुरोध किया गया था। इस अधियाचना के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत के कार्यालय पत्र संख्याः न•प• राजगढ़/2017–74 दिनांक 22–02–2017**(परिशिष्ट–5,क्रमांक 1)** द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा इस मद में किसी प्रकार की वसूली नहीं की गई है। मात्र इतना ही नहीं बल्कि नगर पंचायत के पास इस बारे में भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है कि वर्तमान में इसके सीमा़क्षेत्र में कितने तथा कब से होटल व गैस्ट हाउस व्यवसाय कर रहे है। साधनों की कमी से जूझती नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा प्राप्य आय के इस महत्वपूर्ण संसाधन का दोहन न किया जाना एक बहुत ही गम्भीर तथा चिंतनीय विषय है तथा नगर पंचायत की कार्यप्रणाली में वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को दर्शाता है। अतः अब इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण विवरण तैयार करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यरत समस्त होटलों व गैस्ट हाउसों से उनकी स्थापना के समय से प्राप्य गृहकर का निर्धारण करके पूर्ण राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से पंचायत क्षेत्र में उपयोग बिजली पर प्राप्य कर की वसूली न करना :–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 66(1)viii के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर उपयोग की गई बिजली के प्रति युनिट पर एक पैसे की दर से अपेक्षित बिजली कर की वसूली राज्य विद्युत बोर्ड से नहीं की गई थी। जिसके कारण नगर पंचायत को लगातार हानि हो रही है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–35 दिनांकः 25/02/2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। गत अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा आय के इस महत्वपूर्ण स्त्रोत के दोहन के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो कि बहुत ही चिंतनीय है। अतः पुनः यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है तथा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के लागू होने के पश्चात अब तक नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर बिजली के उपयोग पर नियमानुसार प्राप्य आय की वसूली हेतु कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

23 दुकानों के किराए के रूप में ₹1.71 लाख वसूली हेतु शेष :–

नगर पंचायत की विभिन्न दुकानों से दिनांक 31.03.2016 को ₹1,71,217 वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **''परिशिष्ट–6''** पर संलग्न है। इस राशि को समय पर वसूल न किया जाना वित्तीय प्रबन्धन की कमी को दर्शाता है। इसका दूसरा कारण नगर

पंचायत की आय के सन्दर्भ में मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना भी है। अतः इस राशि की वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 दुकानों के किराये के इकरारनामें नहीं बनाए जाने बारेः–

नगर पंचायत राजगढ़ के लेखाओं की जांच के दौरान पाया गया कि **"परिशिष्ट–6"** पर संकलित विवरण के अनुसार दिनांक 31–03–2016 को नगर पंचायत द्वारा 14 दुकानें किराए पर दी गई हैं। परन्तु इन दुकानों को कई वर्षों से किराए पर देने के बावजूद भी अभी तक किराए पर दिए जाने की शर्तों के विवरण को स्पष्ट करते हुए किसी प्रकार के नियमानुसार इकरारनामें नहीं बनाए गए हैं। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–35 दिनांकः 25/02/2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः अब इस बारे में तथ्यपूरक तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अविलम्ब इन दुकानदारों के साथ दुकानें किराए पर दिए जाने के समय से इकरारनामें बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

25 नगर पंचायत के स्वयं संसाधनों को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकताः–

वित्तीय स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत राजगढ़ को अपनी आय के स्त्रोतों को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने हेतु तुरन्त प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यदि आय के वर्तमान स्वंय संसाधनों का संलग्न वित्तीय स्थिति तथा आय व्यय के आंकड़ों में अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि अंकेक्षणावधि के दौरान नगर पंचायत अपने संसाधनों की आय से संस्थापना व्यय का भुगतान करने में भी सक्षम नहीं है जबकि इस अवधि के दौरान स्थाई सचिव के न होने से इसके वेतन का भुगतान इस व्यय में शामिल नहीं है। अतः नगर पंचायत को अपनी वर्तमान स्त्रोतों जैसे गृहकर, होटल/गैस्ट हाउस से व्यवसायिक दरों पर गृहकर, दुकानों का किराया तथा बिजली उपभोग पर उपकर आदि का सम्पूर्ण तथा समय पर दोहन करने के अतिरिक्त यदि संभव हो तो अपने स्वयं संसाधनों को सुदृढ़ करने हेतु आय के नये क्षेत्र जैसे वाहन पार्किंग इत्यादि के विकास पर भी विचार करना चाहिए।

26 नगर पंचायत की स्वयं संसाधनों की आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः–

नगर पंचायत के स्वयं संसाधनों की आय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि वर्तमान में नगर पंचायत को निम्नलिखित मदों में मुख्य रूप से आय प्राप्त हो रही हैः–

1 गृहकर

2 शराब बिक्री पर उपकर

3 नगर पंचायत की दुकानों से किराया

4 जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र तथा परिवार रजिस्टर नकल शुल्क

5 मकान नक्शा पास करने का शुल्क

6 बिजली पानी के कनैक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र शुल्क

7 मोबाईल टॉवरों पर स्थापना शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क

परन्तु अभिलेख की जांच में पाया गया कि इन मदों से प्रतिवर्ष प्राप्य आय के लिए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 115 से 117 में प्रावधित नियमानुसार प्रारूप टी0 एस0–5 में मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। जबकि उक्त नियमों के अनुसार इसका प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अलग अलग अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। इस अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के लिए प्राप्य तथा वसूली हेतु शेष आय की अंकेक्षण के दौरान जांच नहीं की जा सकी है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 नियमानुसार संस्थापना व्यय रजिस्टर (Establishment Check/Pay Register) का निर्माण न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन भुगतान की जांच पर पाया गया कि नगर पंचायत के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले वेतन भत्तों, बकाया राशि आदि के भुगतान का कोई समेकित ब्यौरा किसी संस्थापना व्यय रजिस्टर में नहीं रखा गया है जिसमें प्रतिमाह प्रविष्टियां की गई हों। यह एक गम्भीर चूक है तथा सचिव को सुझाव दिया जाता है कि इस रजिस्टर का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार करवाते हुए आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन करवाएं तथा भविष्य में रजिस्टर का रख–रखाव सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

28 श्री घनश्याम शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता की सेवा पंजिका में अनियमित सेवा सत्यापनः–

श्री घनश्याम शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता अवधि 01–12–2015 से 28–03–2016 तक के दौरान नगर परिषद् रामपुर, जिला शिमला में तैनात थे। परन्तु उनकी सेवा पंजिका की जांच में पाया गया कि वार्षिक वेतनवृद्धि को जारी करने से पूर्व इस अवधि के लिए सेवा सत्यापन अनियमित रूप से सचिव, नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा किया गया है। चूंकि इस अवधि का

सेवा सत्यापन नियमानुसार कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् रामपुर द्वारा किया जाना अपेक्षित था, अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 श्रीमति विद्या देवी, कनिष्ठ सहायक के वेतन निर्धारण में त्रुटियांः–

श्रीमति विद्या देवी, कनिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका की जांच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1 हिमाचल प्रदेश, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन(पी आर)बी(7)–64/2010 दिनांक 27–09–2012 के प्रावधानों के अनुसार श्रीमति विद्या देवी को दिनांक 01–10–2012 से वेतन पुर्नसंशोधन का लाभ देते हुए उनका वेतन ₹5910–20200+1900 ग्रेड पे में ₹8300/– मूल वेतन से संशोधित करते हुए ₹10300–34800+3200 ग्रेड पे में ₹13500/– (न्यूनतम) मूल वेतन पर निर्धारित की गई थी। मूल वेतन में हुए इस ₹5200/– के लाभ के दृष्टिगत उन्हें अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01–10–2013 को दी जानी अपेक्षित थी परन्तु इसके स्थान पर इसे 01–12–2013 को दिया गया है।

2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2014 के पैरा 11 में श्रीमति विद्या देवी की नियुक्ति के समय 09–12–2009 से ही गलत वेतन निर्धारण बारे आपत्ति उठाई गई थी जिसकी अनुपालना में अपेक्षित ₹4100/– की वसूली तो कर ली गई है परन्तु इसके अतिरिक्त सेवा पंजिका में वेतन निर्धारण प्रविष्टियों का पुर्नलेखन किया जाना भी अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया है।

उपरोक्त त्रुटियों बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं. वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–36 दिनांकः 25/02/2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

30 कर्मचारियों की सेवा पजिकाओं में वेतन निर्धारण का पुर्नलेखन न करनाः–

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अवधि 04/2011 से 03/2014 तक के लिए किए गए गत अंकेक्षण के प्रतिवेदन के पैरा 7 से 11 में नगर पंचायत के कर्मचारियों के सन्दर्भ में समय–समय पर गलत वेतन निर्धारण बारे आपत्तियां उठाई गई थीं जिनकी अनुपालना में तत्कालीन अंकेक्षणोपरान्त अपेक्षित सुधार तो कर लिया गया है परन्तु इसके अतिरिक्त सेवा पंजिकाओं में उक्त गलतियों को किए जाने की दिनांक से वेतन निर्धारण प्रविष्टियों का पुर्नलेखन किया जाना भी अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया है। इस चूक

के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–36 दिनांकः 25/02/2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से कहा गया था जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

31 श्रीमति मीरा तोमर, सामुदायिक कार्यकर्ता के अवकाश खाते में पाई गई त्रुटियांः–

श्रीमति मीरा तोमर, सामुदायिक कार्यकर्ता की सेवा पंजिका की जांच के दौरान अवकाश खाते में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1 दिनांक 10–07–2012 से 31–07–2012 तक के अस्वस्थता के आधार पर चिकित्सीय प्रमाणपत्र के साथ आवेदित 22 दिन के परिवर्तित अवकाश जिसके बदले 44 दिन का अर्धवेतन अवकाश काटा जाना अपेक्षित था के स्थान पर मात्र 21 दिन का अवकाश जिसके बदले 42 दिन का अर्धवेतन अवकाश दर्ज किया गया है।

2 अवधि 01–07–2012 से 31–12–2012 तक के 6 माह के लिए देय 10 दिन के अर्धवेतन अवकाश को खाते में दर्ज नहीं किया गया है।

अतः इन त्रुटियों को दूर करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 श्री प्रदीप कुमार, सेवादार के अवकाश खाते में पाई गई त्रुटियांः–

श्री प्रदीप कुमार, सेवादार की सेवा पंजिका की जांच के दौरान अवकाश खाते में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1 दिनांक 01–12–2009 से 11–12–2009 तक के अस्वस्थता के आधार पर चिकित्सीय प्रमाणपत्र के साथ आवेदित 11 दिन के परिवर्तित अवकाश जिसके बदले 22 दिन का अर्धवेतन अवकाश काटा जाना अपेक्षित था को न तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है और न ही अवकाश खाते में दर्ज करके घटाया गया है।

2 दिनांक 15–06–2013 से 12–07–2013 तक के लिए आवेदित 28 दिन के अर्जित अवकाश को न तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है और न ही अवकाश खाते में दर्ज करके घटाया गया है।

3 अवधि 01–01–2012 से 31–12–2012 तक के एक वर्ष के लिए देय 30 दिन के अर्जित अवकाश व 20 दिन के अर्धवेतन अवकाश को खाते में दर्ज नहीं किया गया है।

अतः इन त्रुटियों को दूर करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 कर्मचारियों के द्वारा आवेदित अवकाश को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न करवानाः–

सी0सी0एस0 (लीव रूल्ज़) 1972 के नियम 16 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार किसी कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत करके इन नियमों के अन्तर्गत 'अवकाश स्वीकृति आदेश' (Leave Sanction Order) जारी करना आवश्यक है। परन्तु नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं तथा निजि अभिलेख नस्तियों की जांच में पाया गया कि उनके द्वारा समय समय पर आवेदित व व्यतीत किए गए अर्जित अवकाश व परिवर्तित अवकाश को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यालय आदेश जारी करते हुए स्वीकृत नहीं किया गया है। इस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा व्यतीत समस्त अवकाश अनियमित है। इस नियम विरूद्ध कार्यप्रणाली को अपनाए जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन समस्त अनियमित अवकाश प्रकरणों को नियमानुसार उचित कार्यालय आदेश द्वारा नियमित किया जाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 कर्मचारियों के अवकाश अभिलेख को अलग नस्ति में रखा जानाः–

नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान व्यतीत किए गए अवकाश की जांच में पाया गया कि इससे सम्बन्धित आवेदन पत्र व अन्य अभिलेख को सम्बन्धित कर्मचारी की निजि नस्ति में रखने के स्थान पर एक अलग नस्ति में सभी कर्मचारियों के लिए सामूहिक रूप से रखा गया है। इस अभिलेख को रखने के कारण अलग नस्ति में स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु अवकाश अभिलेख को नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारी की निजि अभिलेख नस्ति में रखा जाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 कर्मचारियों के अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत संस्था के पास पैन्शन खातों का न खोला जानाः–

01–04–2004 के बाद नियुक्त/नियमित हुए सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अंशदायी पैन्शन योजना में शामिल किया जाना तथा उनके पैन्शन खाते योजना को संचालित करने वाली सम्बन्धित प्राधिकृत संस्था के पास खोला जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत राजगढ़ में दिनांक 01–04–2004 के बाद नियुक्त/नियमित हुए कर्मचारियों के सेवा अभिलेख की जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों के सन्दर्भ में नियमानुसार अंशदायी पैन्शन खाते खोलने के स्थान पर उनके नाम से निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक राजगढ़ में बचत खाते खुलवाकर इन खातों में प्रतिमास उनके वेतन से पैन्शन योजना सम्बन्धित की गई कटौती व नगर पंचायत द्वारा किया गया अभिदान जमा करवा दिया जाता है। इस

योजना के अन्तर्गत आने वाले नगर पंचायत के चार कर्मचारियों के इन बचत खातों में दिनांक 01–04–2016 को ₹11,09,701/– का शेष पाया गया है। इस विसंगति के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–36 दिनांकः 25/02/2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0	कर्मचारी का नाम	बचत खाता संख्या	बैंक	अवधि 04/14 से 03/16 के दौरान जमा राशि	दिनांक 31–03–2016 का अन्त शेष
1	श्री घनश्याम शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	18081	हि प्र रा सह बैंक, राजगढ़	256946	320535
2	श्रीमति विद्या देवी, कनिष्ठ सहायक	18082	हि प्र रा सह बैंक, राजगढ़	239041	329664
3	श्रीमति मीरा तोमर, सामुदायिक कार्यकर्ता	16167	हि प्र रा सह बैंक, राजगढ़	130701	252177
4	श्री प्रदीप कुमार, सेवादार	14275	हि प्र रा सह बैंक, राजगढ़	96077	207325
			कुल योगः–	722765	1109701

36 सामान्य भविष्य निधि अभिदान को कर्मचारियों के व्यक्तिगत बैंक बचत खातों में जमा करवानाः–

शहरी विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्याः यू डी एच(AA)बी(10) 2/2000 दिनांक 26–12–2003 द्वारा जारी दिशा दिशा निर्देशों के अनुसार नगर पंचायत कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का संचालन एवं प्रबन्धन पंचायत के सचिव द्वारा एक सामूहिक बैंक खाते से करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के प्रारूप पी• एफ•–1 में कर्मचारियों के भविष्य निधि लैजर खोल कर किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत राजगढ़ के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि यहां पर इस निधि के अभिदान को सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा बैंक में निम्न तालिका अनुसार खोले गए बैंक बचत खातों, जो कि नगर पंचायत के सचिव के पक्ष में गिरवी (Pledged) हैं में जमा करवाया जाता है।

क्र•	कर्मचारी का नाम	बचत खाता संख्या	बैंक	अवधि 04/14 से 03/16 के दौरान जमा राशि	दिनांक 31–03–2016 का अन्त शेश
1	श्री तारा चन्द, सेवादार	6494	हि प्र रा सह बैंक, राजगढ़	63889	23680

प्रतिपादित नियमों के अनुसार एकत्र सामान्य भविष्य निधि के अभिदान की राशि को सरकारी प्रतिभूतियों/बॉन्ड इत्यादि में इस प्रकार निवेश किया जाएगा कि इस पर कर्मचारियों के हित में अधिकतम ब्याज कमाया जा सके। परन्तु नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना करने के स्थान पर मासिक अभिदान को कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा करवा कर उन्हें इस निधि को स्थापित किए जाने के मूल उद्देश्य/लाभ से वंचित कर दिया गया है। क्योंकि जहां तो सामान्य भविष्य निधि के अन्य अभिदाता (सरकारी कर्मचारी) इस दौरान 8 से 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में अर्जित करते रहे हैं वहीं पर इस नगर पंचायत के कर्मचारियों को मात्र 3 से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का लाभ हुआ है। इस प्रकार से प्रतिपादित नियमों की अवहेलना किस स्तर पर तथा किसके आदेशों से हुई है के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–36 दिनांकः 25/02/2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

37 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के प्रवास यात्रा भत्ता दावों के साथ नियमानुसार प्रवास दैनिकी संलग्न न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के लिए व्यय वाउचरों की जांच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को प्रवास के दौरान की अवधि हेतु किए गए यात्रा भत्ता दावों के भुगतान बिलों के साथ नियमानुसार प्रवास दैनिकी संलग्न नहीं की गई है जिस कारण से प्रवास के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं था। इस अनियमित कार्यप्रणाली को अपनाए जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

38 चिकित्सा प्रतिपूर्ती दावे के रूप में ₹124/– का अनियमित भुगतानः–

रोकड़ बही पृष्ठ 71 पर दिनांक 01/03/2016 को वाऊचर संख्याः 61 द्वारा श्री तारा चन्द, चौकीदार को ₹124/– का अनियमित भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में किया गया है क्योंकि यह उन दवाइयों के बदले में किया गया है जो कि सी. सी. एस. (मैडीकल अटैंडैन्स) नियम, 1944 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती हेतु अस्वीकार्य हैं। अतः इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाएः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	भुगतान की कुल राशि	दवाई का नाम जिसका भुगतान किया गया है।	अनियमित राशि
1.	श्री तारा चन्द, चौकीदार	227.00	ऐन्टासिड	60.00
2.	–यथोपरि–	659.00	सैरोविट (विटामिन)	64.00
			कुल योग	**124.00**

39 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अनुदान से की गई कम्पयूटर खरीद में पाई गई अनियमितताएँः–

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंकेक्षणावधि के अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि इस योजना के अनुदान से ₹37510/– के एक डैस्कटॉप कम्पयूटर तथा ₹11300/– के एक प्रिन्टर का, कुल ₹48810/– का भुगतान योजना की रोकड़ बही के पृष्ठ 67 पर दिनांक 15–05–2015 को हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स डेवेल्पमैन्ट कॉरपोरेशन के पक्ष में दर्ज किया गया है। इस बिल तथा योजना के अभिलेख की जांच में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1 इस योजना के दिशा निर्देशों के अवलोकन पर पाया गया कि इसके अनुदान में से नगर पंचायत को चयनित लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा पूंजी उपलब्ध करवाने पर व्यय करने का प्रावधान तो है परन्तु इसके द्वारा कार्यालय के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण से कम्पयूटर खरीद पर किया गया यह ₹48810/– का व्यय अनियमित प्रतीत होता है। अतः इस बारे में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी/अनुदान प्रदाता संस्था से विशेष अनुमति लेकर नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

2 इस खरीद के बिल वाउचरों पर खरीद सम्बन्धी निर्धारित प्रमाणपत्र नियमानुसार दर्ज नहीं किए गए हैं।

40 निर्माण कार्यः वार्ड नं॰ 3 में कालू राम के घर से मुख्य सड़क की तरफ के रास्ते की मुरम्मत व रखरखाव में ठेकेदार से काटे गए बिक्रीकर से ₹0.06 लाख की अधिक राशि को कोषागार में जमा करवानाः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के बिल की जांच में पाया गया ठेकेदार सुशांत कुमार से मापन पुस्तिका संख्या 18 के पृष्ठ 735 पर ₹87467/– के किए गए कार्य के लिए अन्तिम बिल में से बिक्रीकर की ₹2624/– काटी गई थी। परन्तु दिनांक 03–01–2015 को रोकड़ बही के पृष्ठ 45 पर वाउचर संख्या 29 व 30 से इस बिल से सम्बन्धित बिक्रीकर की राशि को सरकारी कोषागार में जमा करवाते समय ₹8747 जमा करवाई गई है। इस की अधिक

जमा ₹6123 को प्राथमिकता के आधार पर या तो सम्बन्धित विभाग से वापिस लिया जाए अथवा भविष्य में जमा करवाए जाने वाले बिक्रीकर की राशि के साथ इसे समायोजित करते हुए इसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 निर्माण कार्यः सोलन–राजगढ़ सड़क से मुख्य नाले तक के नाले का निर्माण व जीर्णोद्धार (उप–शीर्षकः सुरक्षा दीवार का निर्माण) में ठेकेदार से काटे गए आयकर, बिक्रीकर व लेबर सैस की ₹0.07 लाख को सम्बन्धित विभागों के पास जमा न करवानाः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के बिल की जांच में पाया गया मापन पुस्तिका संख्या 20 के पृष्ठ 822–823 पर ₹135609/– के किए गए कार्य के लिए अन्तिम बिल में से आयकर ₹1360 बिक्रीकर की ₹4070/– व लेबर सैस ₹1360/– कुल ₹6790/– काटी गई थीं। परन्तु दिनांक 02–03–2016 को रोकड़ बही के पृष्ठ 71 पर कटौतियों उपरान्त ₹117758/– की ठेकेदार अरूण शर्मा को भुगतान की प्रविष्टि तो दर्ज है परन्तु उपरोक्त ₹6790/– की राशियों को सम्बन्धित विभागों के पास जमा नहीं करवाया गया है। इस चूक के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

42 अंकेक्षणावधि के दौरान लगभग ₹0.99 लाख की लेबर सैस की राशि को ठेकेदारों से कटौती के उरान्त भी सम्बन्धित विभाग को जमा न करवानाः–

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत आय व्यय के आंकड़ों के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान वर्ष 2014–15 में ₹60,35,174/– तथा वर्ष 2015–16 में ₹38,36,540/– कुल ₹98,71,714/– मूल्य के निर्माण कार्य निष्पादित करवाए गए हैं। जांच में पाया गया कि इन समस्त कार्यों पर सरकार द्वारा निर्धारित 1% की दर से लेबर सैस काटा गया है जो कि लगभग ₹98,717/– बनता है। इस सन्दर्भ में सचिव, नगर पंचायत से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–23 दिनांकः 03/02/2017 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा इसे जमा करवाए जाने का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र क्रमांकः न. प. राजगढ़/2017–73 दिनांक 22–02–2017 द्वारा दी गई सूचना अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान ठेकेदारों से काटे गए लेबर सैस को सरकारी कोषागार में जमा नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि वर्ष 2009 में सरकार द्वारा निर्माण कार्य बिलों से लेबर सैस काटे जाने तथा सरकारी कोषागार में जमा करवाए जाने का प्रावधान स्थापित किए जाने से लेकर अंकेक्षण समाप्ति तक नगर पंचायत द्वारा यह सैस काटा तो जाता है परन्तु कटौती किए जाने के बावजूद भी इसे सम्बन्धित विभाग के पास जमा नहीं करवाया गया है। अतः अब इस बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट

करते हुए वर्ष 2009 से अब तक निष्पादित उन समस्त निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाए जिन पर लेबर सैस काटा गया है तथा काटी गई समस्त राशि को सरकारी कोषागार में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

43 निर्माण कार्यः मापन पुस्तिका में गणना की त्रुटि के कारण ₹260/– का अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्यों की जांच के दौरान पाया गया कि मापन पुस्तिका में गणना सम्बन्धी त्रुटियों के कारण निम्न विवरणानुसार ठेकेदारों को ₹260/– का अधिक भुगतान किया गया हैः–

1 वार्ड नं• 2 में सोलन–राजगढ़ सड़क से रोजगार कार्यालय तक के रास्ते के निर्माण कार्य में ठेकेदार अभिनन्दन लाल द्वारा ₹135147/– के किए गए कार्य की मापन प्रविष्टियां करते समय मापन पुस्तिका 17 के पृष्ठ 513 पर मद संख्या 1 के माप का जोड़ 2.81 घनमीटर के स्थान पर 2.86 घनमीटर लिखा गया है। इस प्रकार इस मद का ₹3800/– प्रति घनमीटर की दर से भुगतान करते समय ₹190 का अधिक भुगतान किया गया है।

2 वार्ड नं• 1 में तोता राम के घर के नज़दीक नाले के जीर्णोद्धार व निर्माण के निर्माण कार्य में ठेकेदार अरुण चौहान द्वारा ₹389381/–के किए गए कार्य की मापन प्रविष्टियां करते समय मापन पुस्तिका 17 के पृष्ठ 523 पर मद संख्या 3 की प्रमात्रा 4.66 घनमीटर के स्थान पर 4.48 घनमीटर लिखी गई है। इस प्रकार इस मद का ₹3495/– प्रति घनमीटर की दर से भुगतान करते समय ₹70 का अधिक भुगतान किया गया है।

उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशियों को उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

44 नगर पंचायत के निर्माण कार्यों के रजिस्टर में कार्य विशेष के सम्पूर्ण व्यय का लेखांकन न करने बारेः–

नगर पंचायत द्वारा अपने समस्त निर्माण कार्य अनुदान विशेष से प्राप्त राशि से निष्पादित करवाए जाते हैं। किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन में वास्तविक निर्माण आरम्भ होने से पूर्व भी कई प्रकार के व्यय निर्माण विशेष के सन्दर्भ में किए जाते हैं जैसे प्राक्कलन तैयार करवाने का व्यय, नक्शा बनवाने का व्यय, निविदा अखबार में छपवाने का व्यय आदि जिन्हें उसी निर्माण कार्य के लिए आबन्टित अनुदान में से खर्च किया जाना अपेक्षित है। यह व्यय उस कार्य विशेष के लिए प्राप्त अनुदान में से किया गया है अथवा नहीं इसका पता निर्माण कार्य रजिस्टर से चल जाता है। नगर पंचायत राजगढ़ के निर्माण कार्य के रजिस्टर तथा रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि यहां पर निर्माण कार्य विशेष को केवल वही

राशियां चार्ज की जाती हैं जिनका भुगतान ठेकेदार को किए गए कार्य के एवज़ में किया गया है तथा उपरोक्त वर्णित समस्त अन्य व्यय कार्यालय व्यय में शामिल करके सम्बन्धित अनुदान के स्थान पर स्वयं संसाधनों को चार्ज किए जाते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार से निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा अनुदानों के उपयोग के सन्दर्भ में प्रस्तुत आंकड़े अपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। इस बारे तथ्ययुक्त सम्पूर्ण ब्यौरे के साथ वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए निम्न लिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः–

1 अब तक निर्माणाधीन कार्यों के सन्दर्भ में उपरोक्त खर्चों का ब्यौरा तैयार करके उसे सम्बन्धित निर्माण कार्य रजिस्टर में लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा व्यय को सम्बन्धित अनुदान को चार्ज करके स्वयं संसाधनों के लिए समायोजन प्रविष्टि की जाए।

2 भविष्य हेतु निर्माण कार्य रजिस्टर का रखरखाव नियमानुसार करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

45 भण्डारण पुस्तकों में सामान के इन्द्राज़ में त्रुटियाँः–

नगर पंचायत की भण्डारण पुस्तकों की जांच में पाया गया कि स्टॉक की प्रविष्टियां करते समय भण्डारण लेखाँकन के मूल नियमों की तरफ कोई ध्यान न देते हुए उनकी अवहेलना की जा रही है। इन स्टॉक रजिस्टरों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैंः–

1 खरीदे गए सामान के सन्दर्भ में अधूरी प्रविष्टियां की जा रही हैं। इनमें न तो आपूर्तीकर्ता और न ही उसके द्वारा दिए गए बिल का कोई सन्दर्भ प्रविष्टि में दिया जाता है।

2 इसी प्रकार खरीदे गए सामान का मूल्य भी प्रविष्टि में दर्ज नहीं किया जाता है।

3 खरीदे गए सामान की कोई विशिष्ट पहचान जैसे क्रमांक संख्या तथा ब्राण्ड कम्पनी इत्यादि को प्रविष्टि में दर्ज नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 11 पर दिनांक 18–09–2015 को खरीदे गए दो कम्पयूटर दर्ज हैं परन्तु इनके ब्राण्ड, विशिष्ट पहचान क्रमांक संख्या तथा मूल्य दर्ज नहीं किया गया है।

4 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 244 के अनुसार नगर पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। परन्तु नगर पंचायत राजगढ़ के स्टॉक रजिस्टरों की जांच में पाया गया कि आज तक कभी भी नियमानुसार अपेक्षित यह भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

अतः इस चूक के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

46 नगर पंचायत वाहन की लॉग बुक में अधूरी प्रविष्टियां करनाः–

नगर पंचायत राजगढ़ के वाहन (आयशर टिप्पर) संख्याः एच0पी0–16–1251 की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि इसमें यात्रा प्रविष्टियां अधूरी दर्ज की गई हैं। इसमें

दर्ज सभी यात्राओं के लिए न तो प्रस्थान स्थान और न ही गंतव्य स्थान दर्ज किया गया है जिसके कारण दर्ज यात्राओं तथा दूरी की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस चूक के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

47 वाहन के मुरम्मत रजिस्टर का अधूरा अनुरक्षण करनाः–

नगर पंचायत राजगढ़ के वाहन (आयशर टिप्पर) संख्याः एच0पी0–16–1251 के मुरम्मत रजिस्टर की जांच में पाया गया कि इसका अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है। इस रजिस्टर में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1 वाहन की मुरम्मत के दर्ज व्यय का पूरा ब्यौरा जैसे मिस्त्री/वर्कशॉप का बिल क्रमांक, दिनांक मुरम्मत का विवरण इत्यादि दर्ज नहीं किए गए हैं।

2 वाहन पर किए गए कुल व्यय का प्रगतिशील योग नहीं किया गया है जिस कारण से वाहन खरीदे जाने से लेकर अब तक इस पर किए बए कुल व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

3 वाहन के नए टायरों, टायर रीट्रैडिंग तथा नई बैटरी पर किए गए व्यय को सामान्य मुरम्मत के व्यय से अलग लिखा जाना अपेक्षित है परन्तु ऐसा न करके इसे एक साथ क्रमागत तरीके से लिखा गया है

अतः इस चूक के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

48 नगर पंचायत वाहन के सन्दर्भ में औसत तेल खपत का निर्धारण न करवानाः–

नगर पंचायत राजगढ़ के वाहन (आयशर टिप्पर) संख्याः एच0पी0–16–1251 के अभिलेख की जांच में पाया गया कि इसके सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा सक्षमाधिकारी से औसत ईंधन खपत का निर्धारण नहीं करवाया गया है जबकि नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष औसत तेल खपत निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है तथा इस औसत खपत को अगले वर्ष अथवा आगामी टैस्ट चैक जो भी पहले हो तक बनाए रखना होता है। इस चूक बारे तथ्यपूरक स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करते हुए इस सन्दर्भ में तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही का किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित औसत यदि वास्तविक खपत से कम पाई जाती है तो अधिक खपत किए गए तेल की गणना नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर करके इसकी लागत की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

49 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

50 **निष्कर्षः–** लेखाओं व रोकड़ बही के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार किए जाने के साथ–साथ वर्तमान अकेक्षण प्रतिवेदन व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–V(28)- फिन (एल0ए0डी0) खण्ड–2–4726–4727 दिनाँक 29–07–17 शिमला –171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश, श्िमाला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 सचिव, नगर पंचायत राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

परिशिष्ट–"1"

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण (पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/75 से 03/77

1	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 10(4)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(5)	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/78 से 03/87

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 11/91

उपरोक्त अवधि का अंकेक्षण प्रतिवेदन पुनः उपलब्ध नही करवाया गया तथा न ही इसे प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की गई जो कि उचित नहीं था। अतः परामर्श दिया जाता है कि इसकी प्रति निदेशालय शहरी विकास से प्राप्त करके इस पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस कार्यालय को शीघ्र भेजा जाये।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/91 से 03/96

1	पैरा 4	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(क)	आंशिक निर्णीत	(स्व. प्रेम सागर व श्याम लाल के अलावा अन्य सभी दुकानदारों से वसूली की जानी शेष थी)
6	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	(₹1360/– की वसूली अभी शेष थी जिसे शीघ्र वसूल किया जाये)
7	पैरा 6(ग)	आंशिक निर्णीत	(श्री हरबंस लाल से ₹100/– की वसूली शीघ्र करके जमा करवाई जाये)
8	पैरा 6(ड•)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
9	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	(₹1015/– की वसूली अभी भी की जानी शेष थी

			जिसके लिए उचित कार्रवाई की जाये)
10	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
11	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
12	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
13	पैरा 7(ड•)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
14	पैरा 7(च)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
15	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
16	पैरा 8	अनिर्णीत	(सफाई शुल्क का मांग एवं संग्रह रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसे शीघ्र तैयार करके पूर्ण किया जाये तथा बकाया राशि की वसूली तदानुसार की जाए)
17	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	(पैरे के निपटारे हेतु मामला बिजली बोर्ड से उठाया जाये)
18	पैरा 9(ड•)	अनिर्णीत	(अनुचित व्यय की न तो अन्य स्त्रोतों से आपूर्ति की गई तथा न ही नियमित करने हेतु कार्रवाई की गई)
19	पैरा 9(ज)	अनिर्णीत	(₹5/– की वसूली अभी भी शेष थी)
20	पैरा 9(झ)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
21	पैरा 9(ञ)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
22	पैरा 9(ट)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
23	पैरा 9(ठ)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
24	पैरा 9(ड)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
25	पैरा 9(ढ)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
26	पैरा 9(त)	अनिर्णीत	(₹308/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की जाये)
27	पैरा 9(द)	आंशिक निर्णीत	(क्रम संख्याः 1, 3, 5 व 6 में कार्यवाही अभी तक की जानी शेष है)
28	पैरा 9(ध)	अनिर्णीत	
29	पैरा 9(न)	अनिर्णीत	
30	पैरा 9(प)	अनिर्णीत	
31	पैरा 9 (व)	अनिर्णीत	
32	पैरा 9 (म)	अनिर्णीत	

33	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
34	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत	
36	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत	
37	पैरा 10(ड•)	अनिर्णीत	
38	पैरा 10(च)	अनिर्णीत	
39	पैरा 11(क)	अनिर्णीत	
40	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	
42	पैरा 11(घ)	अनिर्णीत	
43	पैरा 11(ड•)	अनिर्णीत	
44	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	
45	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	
46	पैरा 12(6)	अनिर्णीत	

(ड•) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/05

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 4(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(ख)(i)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4(ख)(ii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(ख)(iii)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(ख)(iv)	अनिर्णीत	
7	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	
11	पैरा 5(ड•)	अनिर्णीत	
12	पैरा 5(च)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6(क)	आंशिक निर्णीत	(दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है)
14	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	

17	पैरा 6(ङ•)	अनिर्णीत
18	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
19	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत
20	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
21	पैरा 6(झ)	अनिर्णीत
22	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
23	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
24	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत
26	पैरा 7(ड़)(i)	अनिर्णीत
27	पैरा 7(ड़)(ii)	अनिर्णीत
28	पैरा 7(च)	अनिर्णीत
29	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत
30	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत
31	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत
32	पैरा 7(ञ)	अनिर्णीत
33	पैरा 7(ट)	अनिर्णीत
34	पैरा 7(ठ)	अनिर्णीत
35	पैरा 7(ड)	अनिर्णीत
36	पैरा 7(ढ)	अनिर्णीत
37	पैरा 7(ण)	अनिर्णीत
38	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
39	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
40	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
41	पैरा 8(4)	अनिर्णीत
42	पैरा 8(5)	अनिर्णीत
43	पैरा 8(6)	अनिर्णीत
44	पैरा 8(7)	अनिर्णीत
45	पैरा 8(8)	अनिर्णीत
46	पैरा 8(9)	अनिर्णीत
47	पैरा 8(10)	अनिर्णीत
48	पैरा 8(11)	अनिर्णीत

49	पैरा 8(12)	अनिर्णीत
50	पैरा 8(13)	अनिर्णीत
51	पैरा 8(14)	अनिर्णीत
52	पैरा 8(क) (1)	अनिर्णीत
53	पैरा 8(क) (2)	अनिर्णीत
54	पैरा 8(क) (3)	अनिर्णीत
55	पैरा 8(क) (4)	अनिर्णीत
56	पैरा 8(क) (5)	अनिर्णीत
57	पैरा 8(क) (6)	अनिर्णीत
58	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
59	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
60	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
61	पैरा 8(ड•)	अनिर्णीत
62	पैरा 8(च) (1)	अनिर्णीत
63	पैरा 8(च) (2)	अनिर्णीत
64	पैरा 8(च) (3)	अनिर्णीत
65	पैरा 8(च) (4)	अनिर्णीत
66	पैरा 8(च) (5)	अनिर्णीत
67	पैरा 8(छ)	अनिर्णीत
68	पैरा 8(ज)	अनिर्णीत
69	पैरा 8(झ)	अनिर्णीत
70	पैरा 8(ञ)	अनिर्णीत
71	पैरा 8(ट)	अनिर्णीत
72	पैरा 8(ठ)	अनिर्णीत
73	पैरा 8(ड)	अनिर्णीत
74	पैरा 8(ढ)	अनिर्णीत
75	पैरा 8(ण)	अनिर्णीत
76	पैरा 8(ट) (1)	अनिर्णीत
77	पैरा 8(ट) (2)	अनिर्णीत
78	पैरा 8(ट) (3)	अनिर्णीत
79	पैरा 8(ट) (4)	अनिर्णीत
80	पैरा 8(ट) (5)	अनिर्णीत
81	पैरा 8(ठ) (1)	अनिर्णीत

82	पैरा 8(ठ) (2)	अनिर्णीत
83	पैरा 8(ठ) (3)	अनिर्णीत
84	पैरा 8(ठ) (4)	अनिर्णीत
85	पैरा 8(ड)	अनिर्णीत
86	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
87	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
88	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
89	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
90	पैरा 9(ड•)	अनिर्णीत
91	पैरा 9(च)	अनिर्णीत
92	पैरा 9(छ)	अनिर्णीत
93	पैरा 9(ज)	अनिर्णीत
94	पैरा 9(झ)	अनिर्णीत
95	पैरा 9(ट) (1)	अनिर्णीत
96	पैरा 9(ट) (2)	अनिर्णीत
97	पैरा 9(ठ)	अनिर्णीत
98	पैरा 9(ड)	अनिर्णीत
99	पैरा 9(ढ)	अनिर्णीत
100	पैरा 10	अनिर्णीत
101	पैरा 11	अनिर्णीत
102	पैरा 12	अनिर्णीत
103	पैरा 13	अनिर्णीत
104	पैरा 14(i)	अनिर्णीत
105	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत
106	पैरा 14(iii)	अनिर्णीत
107	पैरा 14(iv)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1	पैरा 2(i)(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 2(i)(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 2(i)(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 2(i)(घ)	अनिर्णीत

5	पैरा 2(i)(ड•)	अनिर्णीत	
6	पैरा 3	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4(v)	अनिर्णीत	
11	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत	
15	पैरा 4(x)	अनिर्णीत	
16	पैरा 4(xi)	अनिर्णीत	
17	पैरा 4(xii)	अनिर्णीत	
18	पैरा 4(xv)	आंशिक निर्णीत	(जी–8 संख्याः 8304, दिनांक 2.5.2008 द्वारा आंशिक रूप से निर्णीत ₹14,301/– की वसूली कर ली गई परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही की गई)
19	पैरा 4(xvi)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5	अनिर्णीत	
21	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	
22	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत	
24	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत	
25	पैरा 5(v)	अनिर्णीत	
26	पैरा 5(vi)	अनिर्णीत	
27	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत	
28	पैरा 6	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	

31	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत	
33	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	
34	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत	
35	पैरा 6(vii)	अनिर्णीत	
36	पैरा 6(viii)	अनिर्णीत	
37	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत	
38	पैरा 6(x)	अनिर्णीत	
39	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	
40	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत	
41	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत	
42	पैरा 6(xiv)	अनिर्णीत	
43	पैरा 6(xvi)	आंशिक निर्णीत	(₹45,934/– की वसूली कर ली गई परन्तु सम्बन्धित के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई)
44	पैरा 6(xvii)	अनिर्णीत	
45	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
46	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
47	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
48	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत	
49	पैरा 7(v)	अनिर्णीत	
50	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत	
51	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत	
52	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत	
53	पैरा 7(ix)	अनिर्णीत	
54	पैरा 7(x)	अनिर्णीत	
55	पैरा 7(xi)	अनिर्णीत	
56	पैरा 7(xii)	अनिर्णीत	
57	पैरा 7(xiii)	अनिर्णीत	

58	पैरा 7(xiv)	अनिर्णीत	
59	पैरा 7(xv)	अनिर्णीत	
60	पैरा 7(xvi)	अनिर्णीत	
61	पैरा 7(xvii)	अनिर्णीत	
62	पैरा 7(xviii)	अनिर्णीत	
63	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
64	पैरा 9	अनिर्णीत	
65	पैरा 10	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011

1	पैरा 4	अनिर्णीत	
2	पैरा 5	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	आंशिक निर्णीत	(₹14,829/– की वसूली कर ली गई परन्तु सम्बन्धित के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई)
5	पैरा 9(क)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त तथा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।)
6	पैरा 9(ख)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त तथा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।)
7	पैरा 9(ग)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त तथा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।)
8	पैरा 10	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त तथा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।)
9	पैरा 12	अनिर्णीत	
10	पैरा 13	समाप्त	(नवीनतम स्थिति दर्शाते हुए वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
13	पैरा 16	समाप्त	(नवीनतम स्थिति दर्शाते हुए वर्तमान अवधि 04/2014

			से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
14	पैरा 17	अनिर्णीत	
15	पैरा 18	अनिर्णीत	
16	पैरा 19	अनिर्णीत	
17	पैरा 20	अनिर्णीत	
18	पैरा 21	अनिर्णीत	
19	पैरा 23	अनिर्णीत	
20	पैरा 24	अनिर्णीत	
21	पैरा 25	अनिर्णीत	
22	पैरा 26	अनिर्णीत	
23	पैरा 27	निर्णीत	(₹59/– की वसूली की पुष्टि जी8 22/129 दिनांक 08–03–2017 से कर ली गई।)
24	पैरा 28	निर्णीत	(₹455/– की वसूली की पुष्टि जी8 21/129 दिनांक 08–03–2017 से कर ली गई।)
25	पैरा 29	अनिर्णीत	
26	पैरा 30	समाप्त	(नवीनतम स्थिति दर्शाते हुए वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
27	पैरा 31	अनिर्णीत	
28	पैरा 32	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
29	पैरा 33	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
30	पैरा 34	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
31	पैरा 36	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
32	पैरा 37	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2014

1	पैरा 3	निर्णीत	(चैक संख्या 891579 दिनांक 10–04–2015 द्वारा ₹38,000/– अंकेक्षण शुल्क के भुगतान की पुष्टि कर ली गई।)
2	पैरा 4 (क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/14 से 03/16 में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
3	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत	(रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर को ढूंढने अथवा पैरा में दर्शाई गई वसूलियों को किए जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।)
4	पैरा 4 (ग)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
5	पैरा 4 (घ)	अनिर्णीत	(रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹3,11,711.50/– के अन्तर को ढूंढने का कोई पर्यत्न नहीं किया गया है।)
6	पैरा 4 (ड॰)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति दर्शाते हुए वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
7	पैरा 5 (1)	समाप्त	(वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
8	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत	(अन्तर को ढूंढने का कोई पर्यत्न नहीं किया गया है।)
9	पैरा 6	अनिर्णीत	
10	पैरा 7	अनिर्णीत	(श्रीमति मीरा तोमर, सामुदायिक कार्यकर्ता को वेतन भत्तों में ₹2,86,907/– के अधिक भुगतान की वसूली वर्तमान अंकेक्षण तक नहीं की गई थी, जिसे अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।)
11	पैरा 8	अनिर्णीत	(श्री तारा चन्द, चौकीदार को वेतन भत्तों में ₹30,605/– के अधिक भुगतान में से मात्र ₹1000 की ही वसूली वर्तमान अंकेक्षण के किए जाने तक की गई थी, शेष ₹29,605/– की वसूली भी अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए।)
12	पैरा 9	निर्णीत	(जी8 29/117 दिनांक 20–07–2015 से ₹1500/– तथा जी8 14/129 दिनांक 07–03–2017 से ₹300/–

			कुल ₹1800/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
13	पैरा 10	निर्णीत	(जी8 26/114 दिनांक 23–07–2015 से ₹4096/– तथा जी8 15/129 दिनांक 07–03–2017 से ₹860/– कुल ₹4956/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
14	पैरा 11	निर्णीत	(वसूली का सत्यापन अवधि 04/2011 से 03/2014 के गत अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया था।)
15	पैरा 12	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
16	पैरा 13	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
17	पैरा 14	अनिर्णीत	
18	पैरा 15	अनिर्णीत	
19	पैरा 16	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
20	पैरा 17	निर्णीत	(जी8 96/128 दिनांक 06–03–2017 से ₹100/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
21	पैरा 18	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
22	पैरा 19	समाप्त	(नवीनतम स्थिति दर्शाते हुए वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
23	पैरा 20	निर्णीत	(की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
24	पैरा 21	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
25	पैरा 22	निर्णीत	की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।
26	पैरा 23	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
27	पैरा 24	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)
28	पैरा 25	निर्णीत	जी8 15/129 दिनांक 07–03–2017 से ₹180/– तथा जी8 96/128 दिनांक 06–03–2017 से ₹480/– कुल

			₹660/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।)
29	पैरा 26	समाप्त	(वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।
30	पैरा 27	समाप्त	(वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त।)

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 1.4.14 को अनिर्णीत पैरों का आरम्भिक शेष	290
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	(+) 46
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 38
दिनाँक 31.03.2016 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	298